भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4362** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024/29 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

तटीय आर्थिक क्षेत्र

†4362. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित किए गए तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सीईजेड) की स्थिति क्या है; और
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सीईजेड के विकास हेतु परियोजनावार और वर्षवार कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): सागरमाला कार्यक्रम की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत, चौदह तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सीईजेड) की परिकल्पना मुख्य रूप से पत्तन-आधारित औद्योगिकीकरण के लिए की गई थी। पत्तन-आधारित औद्योगिकीकरण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, महापत्तनों में 8000 एकड़ से अधिक भूमि का उपयोग पहले ही औद्योगिकीकरण के लिए किया जा चुका है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पत्तन और स्मार्ट औद्योगिक पत्तन शहर, जो 700 एकड़ से अधिक भूमि पर फैले पारादीप पत्तन पर विकसित किया जा रहा है, पर विकसित 277 हेक्टेयर बहु-क्षेत्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल है। नव मंगलूर पत्तन, विशाखापट्टनम पत्तन, कोचीन पत्तन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन और वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन सहित अन्य पत्तनों को भी औद्योगिकीकरण के लिए भूमि आवंटित की गई है।

इसके अलावा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं को विकसित करने की योजना बनाई है जिसका उद्देश्य भारत में हरित क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र/नोड्स का विकास करना है। भारत सरकार ने आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल संपर्कता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के हिस्से के रूप में चार चरणों में 11 कॉरिडोर (32 परियोजनाओं) के विकास को मंजूरी दी है।

*****